

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट-आवंटन-27/2013- - 127 आवंटन /कृ0, पटना, दिनांक 21/8/2013
प्रेषक,

रामजी सिंह
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय : बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को पूर्व में औपबंधिक रूप से सहायक अनुदान मद में स्वीकृत 992.86 करोड़ रु० को विस्तृत परियोजना प्रस्ताव के आलोक में संशोधित करते हुए वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक सहायक अनुदान मद में 1052.32 करोड़ रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन 70 लाख रुपये से अधिक निर्माण कार्यों में मुख्य अभियंता (दक्षिण), भवन निर्माण विभाग से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर योजना कार्यान्वयन करने, सभी भवनों को भूकम्परोधी बनाने तथा वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करने की स्वीकृति के अधीन वर्ष 2013-14 में सामान्य वर्ग के लिए परिसम्पत्तियों हेतु तत्काल 125.49 करोड़ रु० (एक अरब पच्चीस करोड़ उनचास लाख रु०) सहायक अनुदान की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु शेष ₹77,47,83,000 (सत्तहत्तर करोड़ सैतालिस लाख तेरासी हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-3369 दिनांक-04.07.2013 द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को पूर्व में औपबंधिक रूप से सहायक अनुदान मद में स्वीकृत 992.86 करोड़ रु० को विस्तृत परियोजना प्रस्ताव के आलोक में संशोधित करते हुए वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक सहायक अनुदान मद में 1052.32 करोड़ रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन 70 लाख रुपये से अधिक निर्माण कार्यों में मुख्य अभियंता (दक्षिण), भवन निर्माण विभाग से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर योजना कार्यान्वयन करने, सभी भवनों को भूकम्परोधी बनाने तथा वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करने की स्वीकृति के अधीन वर्ष 2013-14 में सामान्य वर्ग के लिए परिसम्पत्तियों हेतु तत्काल 125.49 करोड़ रु० (एक अरब पच्चीस करोड़ उनचास लाख रु०) सहायक अनुदान की स्वीकृति हुई है। पूर्व में विभागीय पत्रांक-49 (आवंटन) दिनांक-01.07.2013 द्वारा ₹25,50,000 एवं पत्रांक-60 (आवंटन) दिनांक-11.07.2013 ₹48,01,17,000 की राशि आवंटित की जा चुकी है। पुनः व्यय हेतु शेष ₹77,47,83,000 (सत्तहत्तर करोड़ सैतालिस लाख तेरासी हजार रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹77,47,83,000 (सत्तहत्तर करोड़ सैतालिस लाख तेरासी हजार रुपये) मात्र की राशि का व्यय बजट शीर्ष-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-मांग सं०-1-उप मुख्यशीर्ष-01-फसल कृषि कर्म-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0108-बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड-P2415012770108, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-5042, विषयशीर्ष-31 05-सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण मद में वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपबंधित ₹145.49 करोड़ रु० से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-7857 दिनांक-31.07.2013 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

रिजल

विश्वासभाजन,

21/8/13

(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक 127 आर्वांन

/कृ०, पटना, दिनांक 21/8/2013

- प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(15/21/8/13)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 127 आर्वांन

/कृ०, पटना, दिनांक 21/8/2013

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक/निदेशक उद्यान/निदेशक, पी०पी०एम (कृषि विभाग)/निदेशक, भूमि संरक्षण/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक, (प्रसार)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/नियंत्रक, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर/वित्त विभाग, (बजट-शाखा) बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, (प्रशाखा-04, समन्वय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

रिजवा

(15/21/8/13)

सरकार के संयुक्त सचिव।